

कमिश्नर वाणिज्य कर, उर प्रदेश

उपस्थित श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आई० ए० एस०, एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री अमान मार्केटिंग, 51 / 87, नयागंज, कानपुर ।
प्रार्थना पत्र सं० व दिनांक 055 / 12, 24.09.2012
प्रार्थी की ओर से श्री जी०पी० गुप्ता, सी०ए० ।

उर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए जिसमें निम्न प्रश्न निर्णीत किये जाने का अनुरोध किया गया है :---

Raw Tobacco is classified under schedule II Part C at serial No.236 and taxable @4% w.e.f. 30.09.2008 vide notification no. K.N NI-2-2758 /XI, dated 29.09.2008

Notification no. K.N NI-2-869/XI-9(1)/08 U.P.Act-5-2008-Order(81)-2012 dated August 30.2012 in the said notificatin at SL. No.14 Unmanufactured tobacco, tobacco refuse, Khaini (chewing tobacco and its products), Zarda, Surti or other goods of similar nature and tobacco products excluding Bidi and Cigarate / Cigar. Has been classified under Schedul IV (Non Vat Goods) on which applicable rate of Tax is 30% (M or I.)

In the above referred notification dated 30.08.2012 word has been used UNMANUFACTURED TABACCO which has not been used any where else.

Whether commodity mentioned in Schedul II Part C at serial No.236(Raw Tobacco) and taxable @4% is still valid and effective.

फर्म की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए । धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तथ्यों को दोहराते हुए निर्णय करने का अनुरोध किया गया ।

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य०) संभाग-बी, कानपुर के पत्र संख्या-1050, दिनांक 31.10.2012 से प्राप्त आख्या में कहा गया है कि नोटिफिकेशन संख्या-K.N NI-2-869/XI-9(1)/08 U.P.Act-5-2008-Order(81)-2012, दिनांक 30.8.2012 जारी होने के उपरान्त भी नोटिफिकेशन संख्या-K.N NI-2-2758, दिनांक 29.9.2008(सीरियल नं०-24) वैध / प्रभावी है ।

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि उर प्रदेश वैट अधिनियम की अनुसूची II पार्ट-सी के क्रमांक-236 में Raw Tobacco विज्ञापित है, 4%+विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता है । नोटिफिकेशन संख्या-K.N NI-2-869/XI-9(1)/08 U.P.Act-5-2008-Order(81)-2012, दिनांक

...2

30.8.2012 (सीरियल नं0-14) पर Unmanufactured Tobacco 30% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है।
वर्तमान में दोनों विज्ञप्तियों क्रमशः Raw Tobacco व Unmanufactured Tobacco के लिए प्रभावी है।

मेरे द्वारा व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों, ज्वाइंट कमिशनर (कार्य0)वाणिज्य कर, संभाग-बी, कानपुर की आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। Raw Tobacco के सम्बन्ध में जारी Notification no. K.N NI-2-2758 /XI, dated 29.09.2008 वर्तमान में यथावत् प्रभावी है।
अतः तदनुसार Raw Tobacco पर उर प्रदेश वैट अधिनियम की अनुसूची II पार्ट-सी के क्रमांक-236 के अन्तर्गत 4%+विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

7. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।
8. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 19 नवम्बर, 2012

ह0/- 19.11.2012
(कामिनी चौहान रतन)
एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर,
उर प्रदेश, लखनऊ।